

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान प्रमुख वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग के विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय) सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए।	: recommended for Approval
----	--	-------------------------------------

हस्ताक्षर


 3-17

सुरेश चन्द्र

 नाम और पदनाम : मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
 सरकारी मोहर : प्र०, लखनऊ

दिनांक:-

स्थान:-


 सुरेश चन्द्र
 मुख्य वन संरक्षक


 एम० के० मिश्रा
 अधिशासी अभियंता (1)
 वन विभाग, लखनऊ